"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2018 —— पौष 29, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-20/2012/1/5. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, नई दिल्ली (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक में, कॉलम (1) में, सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3-क	संयुक्त आवासीय आयुक्त	01	प्रथम श्रेणी	रु. 37400-67000+ ग्रेड पे 8700	पदोन्नति द्वारा"

2. अनुसूची-दो में, कॉलम (2) में, सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"3-क संयुक्त आवासीय आयुक्त	01	-	100%	-"

3. अनुसूची-चार में, कॉलम (2) में, शब्द "उपायुक्त (प्रोटोकाल)" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के नीचे, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	"उपायुक्त (प्रोटोकाल)	संयुक्त आवासीय आयुक्त	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार"		

No. F 13-20/2012/1/5. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the office of the Commissioner, Government of Chhattisgarh, New Delhi, (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2000, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-I, in column (1), after serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3-A	Joint Residential Commissioner	01	Class-I	Rs. 37400-67000+ G. P. 8700	By Promotion

2. In Schedule-II, in column (2), after serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"3-A Joint Residential Commissioner	01	-	100%	-"

3. In Schedule-IV, in column (2), below the words "Deputy Commissioner (protocol)" and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	"Deputy Commissioner (Protocol)	Joint Residential Commissioner	05 years	As above"		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.